न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती हरबिन्दर डी0 सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
69/दावा/2019	28.6.2019	24.06.2024

श्रीमति चन्दा बडवाडिया पत्नी श्री ओमप्रकाश बडवाडिया जाति ब्राहम्ण निवासी 99 बल्लभबाडी गुमानपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

.....वादीनी

बनाम

1. श्रीमति स्वरूपकंवर पुत्री श्री भोपाल सिंह पत्नी महेन्द्रप्रताप सिंह जाति राजपुत निवासी जाखमुण्ड तह0 तालेडा जिला बून्दी
2. मदनसिंह आ0 धनसिंह जाति राजपुत निवासी जाखमुण्ड मृतक के कायम मुकामान्
   - 2/1. धनकंवर पत्नी मदन सिंह
   - 2/2. भूलसिंह पुत्री मदन सिंह
   - 2/3. विष्णुकंवर पुत्री मदन सिंह
   - 2/4. रणजीत सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह पौत्र स्व0 मदन सिंह
   - 2/5. तेजराज सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह पौत्र मदन सिंह
   - 2/6. विष्णुकंवर पत्नी भंवरसिंह पुत्रवधु मदनसिंह जातियान् राजपुत निवासी जाखमुण्ड तह0 तालेडा
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा बून्दी (राज0)

प्रतिवादीगण

वकीलवादी – श्री नन्दसिंह सौलंकी
वकील प्रतिवादी – श्री हिम्मत सिंह

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा 183 आरटीएक्ट

वादीनी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आरटीएक्ट में प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य निम्नानुसार है।

वादीनी के खाते में ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा में खसरा नम्बर 412/ 205/1 की 2 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही है। पूर्व में प्रतिवादी नं0 1 व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 412/ 205 की 48 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी। जिसमें प्रतिवादी नं. 1 का 1/24 हिस्सा निहित था। प्रतिवादी नं0 1 ने जरिये मुख्तार योगेश कुमार शर्मा के अपने 1/24 हिस्से की आराजी को वादीनी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28-6-2017 को बेचान कर दिया तथा बेची गयी भुमि पर वादीनी को कब्जा सम्भला दिया था। उक्त जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28-6-2017 के आधार पर उक्त भूमि का इंतकाल नम्बर 748 दिनांक 31-7-2017 वादीनी के नाम खोल कर तस्दीक किया गया तथा वादीनी का नाम 1/24 हिस्से पर दर्ज किया गया। वादीनी खरीदशुदा 1/24 हिस्से की आराजी जो लगभग 2 बीघा 1 बिस्वा होती है, पर वादीनी खरीद की तिथि से बहेसियत खातेदार काबिज काश्त चली आ रही है। इसके पश्चात् खसरा नम्बर 412/ 205 की भूमि का न्यायालय द्वारा विभाजन की डिक्री पारित कर दी गयी जिसकी इजराय में विभाजन किया जाकर नामान्तरकरण सं. 769 दिनांक 7-8-18 से वादीनी की खरीदशुदा आराजी के नये खसरा नम्बर 412/205 /1 रकबा 2-01 बीघा कायम कर दिया गया। उपरोक्त ख0न0 412/ 205/1 की 2-01 बीघा भुमि से बैचान करने के बाद प्रतिवादी नं0 1 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । उक्त भूमि पर वादीनी खरीद की तिथि से काबिज काश्त चली आ रही है किन्तु भूमियों का विभाजन होने के पश्चात वादीनी अपनी भूमि पर दिनांक 18-8-2018 को गयी तो वहां पर प्रतिवादीगण मिले। जिन्होने वादीनी को काश्त करने से इन्कार कर दिया तथा झगडा व मारपीट पर आमादा हो गये। वादीनी ने कहा कि यह भूमि उसकी खरीद

Scanned with OKEN Scanner

भूमि है इस पर प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि चाहे कुछ भी हो जावे। उक्त भूमि पर वादीनी को कभी भी कब्जा नहीं देगें व कब्जा देने के बदले रूपयों की अवैध रूप से मांग की तथा कहा कि इस वर्ष तो वे ही काश्त करके रहेगें। जबकि प्रतिवादीगण को वादीनी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा बनाये रखने व अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। आखातीज पर प्रतिवादीगण द्वारा फसल काट लेने के बाद वादीनी पुनः दिनांक 15-5-2019 को अपने खेत पर गयी तो वहां प्रतिवादी नं. 2 मिला । वादीनी ने प्रतिवादी नं. 2 से वादीनी की भूमि पर से कब्जा छोडने हेतु कहा तो प्रतिवादी नं. 2 ने वादीनी व उसके प्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी दी तथा भूमि पर से कब्जा छोडने से इन्कार कर दिया। यदि प्रतिवादीगण को उक्त भूमि से बैदखल कर उसका कब्जा वादीनी को नहीं दिलाया गया, तो वादीनी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी। वादीनी अपनी ही खरीदशुदा भूमि के उपयोग व उपभोग से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगी। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीनी के लिये माननीय न्यायालय में बैदखली व कब्जा प्राप्ति का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है जिस हेतु यह वाद प्रस्तुत है। वाद कारण प्रतिवादी नं.1 ने वादीनी को अपने 1/24 हिस्से की भूमि बेचान कर कब्जा देने पर, विभाजन बाद बेची गयी भुमि के नये खसरा नम्बर कायम होने पर व उसके बाद प्रतिवादी नं0 2 द्वारा प्रतिवादी नं. 1 की शह पर वादीनी के खाते की भूमि पर जबरन अतिक्रमण करके कब्जा करने पर, प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी को दिनांक 15-5-2019 को कब्जा छोड़ने से इन्कार करते हुये कब्जा नहीं देने की धमकी देने पर पैदा हुआ। अतः प्रार्थना है कि वादीनी के पक्ष में प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 को ग्राम गोविन्दपुरबावडी तह0 तालेडा की ख0सं0 412/205/1 की 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर से बेदखल किया जाकर वादीनी को कब्जा दिलाया जावे।

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी सं0 2 की दौराने वाद मृत्यु हो जाने पर प्रतिवादी सं0 2 के कायम मुकामान बनाये गये। प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक श्री हिम्मत सिंह ने अभिभाषक पत्र प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा भूमि का बेचान स्वीकार है परन्तु कभी भी उक्त भूमि पर वादीनी का कब्जा नही रहा है। वर्तमान में भी उक्त भूमि पर वादीनी का कब्जा नही है एवं कभी भी वादीनी से प्रतिवादीगण के द्वारा रूप्यो की मांग नही की गई । वादीनी का कोई हक उक्त भूमि पर नही बनता है क्योंकी वादीनी के द्वारा उक्त भूमि शामलामी कृषि भूमि में से खरीद की थी जहॉ पर पहले से विधिवत बटवारा नही हो रखा था एवं वर्तमान में वाद वर्णित भूमि की अच्छी किमत होने के कारण जबरन वादीनी उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहती है। प्रतिवादीगण का जवाबदावा स्वीकार कर वादीनी का वाद खारिज फरमाया जावे।

वाद में निम्नांकित तनकीयात कायम की गई –

1. आया कि वादिनी ख0सं0 412/205/1 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा की खातेदार है।

वादीनी

2. आया कि प्रतिवादीगण ने वादीनी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तथा कब्जा छोडने से इन्कार कर दिया।

वादीनी

3. आया कि ख0सं0 412/205/1 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि पर कब्जा प्रतिवादीगण से पुनः प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

वादीनी

4. आया कि वाद वर्णित कृषि भूमि पर वादीनी जबरन कब्जा करना चाहता है।

प्रतिवादीगण

5. अबुतोष

वादीनी की ओर से वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी संवत 2069-72 वाके ग्राम गोविन्दपुरबावडी प्रदर्श-1 एवं वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076 प्रदर्श-2 है।

Scanned with OKEN Scanner

उक्त प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पर जिरह की गई। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस उभय पक्ष सूनी गई । वकील वादीनी द्वारा दौराने बहस वाद वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी वादीनी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर राजस्व रेकार्ड में विधिक खातेदार है जिस पर प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही रहा है वे अतिक्रमी की हेसियत से वादीनी की भूमि पर जबरन कब्जा कर वादीनी को अपने अधिकारो से वंचित कर रहे है। अतः प्रतिवादीगण को वादीनी की भूमि से बेदखल कर कब्जा दिया जावे।

वकील प्रतिवादी द्वारा द्वौराने बहस जवाब दावा को दोहराते हुए भूमि क्रय किये जाने के दौरान बट्वारा नही होने एवं भूमि पर कभी कब्जा नही होने की बात कहते हुए जवाब दावा को ही बहस होना अवगत कराया। वादीनी का वाद खारिज योग्य है।

बाद बहस पत्रावली में निम्नानुसार तनकीवार विवेचन की और अग्रसर होते है।

तनकी सं0 1 –

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीनी पर है वादीनी ने वाद पत्र एवं साक्ष्य में अंकित कथनो के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 102 सं0 2069-72 प्रदर्श-1 एवं वर्तमान जमाबन्दी खाता सं0 44 संवत् 2076 वाके ग्राम गोविन्दपुरबावडी प्रस्तुत की गई। नकल जमाबन्दी का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वादीनी द्वारा वाद पत्र में वर्णित आराजी सं0 412/205/1 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, जिसके बाद बट्वारा नवीन नम्बर 629/205 रकबा 0.3318 हैक्टे0 वर्तमान जमाबन्दी अनुसार दर्ज रेकार्ड है पर चन्दा बरवाडिया पत्नि ओमप्रकाश खातेदार दर्ज रेकार्ड होने से यह तनकी वादीनी के पक्ष में सिद्व होती है।

तनकी सं0 2 –

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीनी पर है। वादीनी द्वारा अपने साक्ष्य में प्रस्तुत कथन एवं प्रतिवादी द्वारा दौराने जिरह यह स्वीकार करना की प्रतिवादीगण द्वारा 2018 में अतिक्रमण किया जाना एवं तत्पश्चात पुलिस में रिपोर्ट करवाया जाकर वादीनी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183 मे प्रस्तुत किया जाना एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा की चरण सं. 5 में यह कथन कहना कि उक्त भूमि पर कभी भी वादीनी का कब्जा नही रहा है। यह स्वयं सिद्व करता है कि वादीनी की खातेदारी अधिकार की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कोई हक अधिकार हो। अतः यह तनकी भी वादीनी के पक्ष में सिद्व होती है।

तनकी सं0 3 –

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीनी पर है। भूमि ख0स0 412/205/1 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा जिसके बाद बट्वारा नवीन नम्बर 629/205 रकबा 0.3318 हैक्टे0 वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादीनी खातेदार दर्ज रेकार्ड होने से कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वादीनी के पक्ष में सिद्व होती है।

तनकी सं0 4 –

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा मे कथन किया कि वादीनी द्वारा उक्त भूमि शामलाती कृषि भूमि में से खरीद की गई, जिसका विधिवत बट्वारा नही हुआ था। वादीनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रस्तुत नकल जमाबन्दी खाता सं0 44 प्रदर्श-2 प्रस्तुत की। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीनी द्वारा भूमि क्रय करने के पश्चात विधिवत बट्वारा होकर वादीनी के नाम भूमि पृथक से दर्ज रेकार्ड हुई है जिसकी वादीनी रेकार्डेड खातेदार होने से अपनी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्व वादीनी के पक्ष में सिद्व होती है।

तनकी संख्या 5:–

Scanned with OKEN Scanner

आया वादीनी अपने हक की तनकी संख्या 1 लगायत 3 को साबित करने मे पूर्णतः सफल रही है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक की तनकी संख्या 4 को साबित नही किया जा सका। अतः वादीनी को अधिकार है कि वह प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करवाकर भूमि का कब्जा प्राप्त करे।

आदेश

उक्तानुसार तनकीवार विवेचन एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड प्रदर्श–1 एवं प्रदर्श–2 अनुसार वादीनी विवादित भूमि खसरा संख्या 629/205 रकबा 0.3318 हैक्टै0 वाके ग्राम गोविन्दपुरबावडी की रेकार्डेड खातेदार है। जो कि वादीनी द्वारा जर्ये विक्रय पत्र क्रय कर प्राप्त की गई होने से प्रतिवादीगण जो भूमि पर काबिज है, वह मात्र अतिक्रमी है अतः वादीनी को अधिकार है कि वह प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करवाये तद्नुसार ही वाद वादीनी डिक्री किया जाता है तथा तहसीदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि वह विवादित आराजी ख0सं0 629/205 रकबा 0.3318 हैक्टे0(पुराना ख.सं. 402/205/1 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा) वाके ग्राम गोविन्दपुरबावडी से अतिक्रमियो को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा विधिवत रूप से खातेदार वादीनी को संभलावे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।

इजलास हरबिन्दर डी. सिंह, आर0ए0एस0

श्रीमति चन्दा बडवाडिया पत्नी श्री ओमप्रकाश बडवाडिया जाति ब्राहम्ण निवासी 99 बल्लभबाडी गुमानपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

.....वादीनी

बनाम

1. *श्रीमति स्वरूपकंवर पुत्री श्री भोपाल सिंह पत्नी महेन्द्रप्रताप सिंह जाति राजपुत निवासी जाखमुण्ड तह0 तालेडा जिला बून्दी*
2. *मदनसिंह आ0 धनसिंह जाति राजपुत निवासी जाखमुण्ड मृतक के कायम मुकामान्*
   - *2/1. धनकंवर पत्नी मदन सिंह*
   - *2/2. भूलसिंह पुत्री मदन सिंह*
   - *2/3. विष्णुकंवर पुत्री मदन सिंह*
   - *2/4. रणजीत सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह पौत्र स्व0 मदन सिंह*
   - *2/5. तेजराज सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह पौत्र मदन सिंह*
   - *2/6. विष्णुकंवर पत्नी भंवरसिंह पुत्रवधु मदनसिंह जातियान् राजपुत निवासी जाखमुण्ड तह0 तालेडा*
3. *राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा बून्दी (राज0)*

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 आरटीएक्ट

69/दावा/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री नन्दसिंह सौलंकी एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद वादीनी डिक्री किया जाता है तथा तहसीदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि वह विवादित आराजी ख0सं0 629/205 रकबा 0.3318 हैक्टे0(पुराना ख.सं. 402/205/1 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा) वाके ग्राम गोविन्दपुरबावडी से अतिक्रमियो को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा विधिवत रूप से खातेदार वादीनी को संभलावे।

नीज..... मुबलिक..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालात स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालात स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 24 माह 06 वर्ष 2024 को जारी की गई।

मोहर

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Scanned with OKEN Scanner